

सार्वजनिक सूचना

एकेशिप्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: U45202DL2012PTC230023) (पंजीकृत कार्यालय: 1589, मद्रासा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली- 110006) नाम परिवर्तन के संबंध में 44 नोएडा इंडस्ट्रिक (वन) प्राइवेट लिमिटेड से

एकेशिप्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 44 नोएडा इंडस्ट्रिक (वन) प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मूल नाम 16/01/2012 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 44 नोएडा इंडस्ट्रिक (वन) प्राइवेट लिमिटेड था, ने अपना नाम बदलकर एकेशिप्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कर लिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत आवश्यक प्रस्ताव पारित करके निदेशक मंडल और सदस्यों को स्वीकृत प्राप्त की गई और इसे कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास दाखिल किया गया। कंपनी को दिनांक 01/04/2026 के आदेश के माध्यम से केंद्र सरकार की स्वीकृत प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 29 के अनुसार, आरओसी द्वारा कंपनी को फॉर्म संख्या INC-25 में नाम परिवर्तन के अनुरूप निगमन का नया प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जो नाम परिवर्तन को प्रमाणित करता है। सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त जानकारी पर ध्यान दें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार हस्ताक्षर/- विनायद कुमार (निदेशक) डीआईएन: 03534661

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 25/05/2026

कच्चा सूचना (अवल संपत्ति हेतु)

जब कि,

समान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अयोधलाक्षरी ने सिक्वोरिटाइजेशन एंड रिस्कट्रान्स ऑफ फायनान्सियल असेट्स एंड एफोर्सेमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंस्ट्रूमेंट्स ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्वोरिटी इंस्ट्रूमेंट (एफोर्सेमेंट) क्लब, 2002 के साथ पहले हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार सुरेंद्र कुमार (सह-उधारकर्ता स्वर्गीय लीलामा के पति और कानूनी वारिस) को 05.03.2026 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLRHH00563592** की राशि रु. **26,05,396.95 (रुपये छब्बीस लाख पांच हजार तीन सौ छियावन और पंचावने पैसे मात्र)** को 05.03.2026 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राची को तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभिवाचना सूचना जारी की थी। धनराशि चुकता करने में कर्जदरों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अयोधलाक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्वोरिटी इंस्ट्रूमेंट (एफोर्सेमेंट) क्लब, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 20.05.2026 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु. **26,05,396.95 (रुपये छब्बीस लाख पांच हजार तीन सौ छियावन और पंचावने पैसे मात्र)** 05.03.2026 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **समान कैपिटल लिमिटेड** (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अंतर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अवल संपत्ति का विवरण

संपूर्ण पहली मंजिल पर बना हुआ, छत्र/टेरेस के अधिकार के बिना, स्वतंत्र संपत्ति बेअरिंग नं. 280, क्षेत्र माप 31.69 स्क्वे. मीटर, ब्लॉक-ए में, पॉकेट-00, सेक्टर-2, सर्वेज/प्लान/कनेक्शन और स्वतंत्र बिजली कनेक्शन के साथ, रोजीणी आवासीय योजना के लेआउट प्लान नं. सिविल, दिल्ली- 110085, नीचे की ज़मीन के अनुपातिक स्वतंत्र अधिकारों के साथ, पैसेज के सामान्य अधिकार, ज़मीन से इमारत की छत तक जाने वाली सीढ़ियों के साथ, प्रवेश, निकाल और सुगमता के अधिकार के साथ।

सही/- प्राधिकृत अधिकारी **समान कैपिटल लिमिटेड** (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

दिनांक : 20.05.2026 स्थान : दिल्ली

कच्चा सूचना (अवल संपत्ति हेतु)

जब कि,

समान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अयोधलाक्षरी ने सिक्वोरिटाइजेशन एंड रिस्कट्रान्स ऑफ फायनान्सियल असेट्स एंड एफोर्सेमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंस्ट्रूमेंट्स ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्वोरिटी इंस्ट्रूमेंट (एफोर्सेमेंट) क्लब, 2002 के साथ पहले हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार भावना जैन (सह-उधारकर्ता, पत्नी और साथ ही स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जैन की कानूनी वारिस) को 06.03.2026 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLDR00499740** की राशि रु. **25.85,105.89 (रुपये पच्चीस लाख पचासी हजार एक सौ पंच और नवासी पैसे मात्र)** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राची को तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभिवाचना सूचना जारी की थी। धनराशि चुकता करने में कर्जदरों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अयोधलाक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्वोरिटी इंस्ट्रूमेंट (एफोर्सेमेंट) क्लब, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 21.05.2026 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु. **25.85,105.89 (रुपये पच्चीस लाख पचासी हजार एक सौ पंच और नवासी पैसे मात्र)** 05.03.2026 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **समान कैपिटल लिमिटेड** (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अंतर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अवल संपत्ति का विवरण

संपत्ति नं. एक्स-1597, गौरी मंजिल, क्षेत्र माप 92 स्क्वे. यार्ड्स यानी 76.92 स्क्वे. मीटर., प्लिथ/कवर्ड क्षेत्र, जिसका माप 76.92 स्क्वे. मीटर., छत्र/टेरेस के अधिकारों के साथ, तथा कानून के अनुसार अंतिम मंजिल तक आगे निर्माण करने के अधिकार और साझा क्षेत्रों में अधिकारों के साथ, एक कार और एक दो-पिंजरा वाहन की पार्किंग के साथ, स्टिच प्रलोर पर, उक्त भूमि के पूरुंड और सभी सामान्य सुविधाओं, सुख-सुविधाओं में अर्निभाजित, अर्निभाज्य, अर्निभाज्य आनुपातिक स्वामित्व अधिकारों के साथ, खसरा नं. 133 और 134 में से, गली नं. 11 की आबादी में स्थित, "राजराज कोशे" में, गाँव भोंडोले के क्षेत्र में, इलाका शाहदर, नई दिल्ली- 110031, दिल्ली, उपरोक्त संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार परिचय हैं:-

पूर्व : सड़क पश्चिम : अन्य की संपत्ति उत्तर : अन्य संपत्ति नं. एक्स / 1598 दक्षिण : अन्य संपत्ति नं. एक्स / 1596

सही/- प्राधिकृत अधिकारी **समान कैपिटल लिमिटेड** (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

दिनांक : 21.05.2026 स्थान : दिल्ली

आवश्यक सूचना

धिया किसी भी थै यइ संबंधित हो

यह आम जनता, सरकारी प्राधिकरणों, बैंकों तथा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि: **मैसर्स सुर्या हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड** (सीआईएन संख्या: U85100DL2011PTC224148) का पंजीकृत कार्यालय स्थानांतरित होकर अब एच - 163, बेसमेंट, ग्रेटर कैलाश - II, चित्रनगर पार्क के निकट, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली- 110019 हो गया है, जो दिनांक 17.12.2025 से प्रभावी है। स्वामित्व, योग्यताएँ तथा निदेशक मंडल के पुनर्निर्देश के परिणामस्वरूप, श्री मोहन गुप्ता ने कंपनी का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। श्री मोहन गुप्ता, निदेशक, कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार के समझौते/लेन-देन/बिक्री/खरीद/बंधक/पट्टा आदि तथा कंपनी की किसी भी संपत्ति/भूमि/परिसर/संपत्तियों आदि के संबंध में प्रतिनिधित्व करने हेतु एकाग्र एवं अधिकृत व्यक्ति हैं। पूर्व में जारी सभी प्राधिकरण दिनांक 17.12.2025 से निरस्त माने जाएंगे। श्री मोहन गुप्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी लेन-देन अन्याय एवं गुरु माना जाएगा। फाउंडेशन पर क्षेत्राधिकार रखने वाला आयकर अधिकारी, बैंक/टी केमिस्टर, एनसीटी दिल्ली के साथ कोई भी लेन-देन अन्याय एवं गुरु माना जाएगा। श्री मोहन गुप्ता (निदेशक) द्वारा जारी की गई है। संपर्क: 011-46597986, ईमेल: mahendra@mahendragupta.co, स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 26.05.2026.

सूर्याय नमः फाउंडेशन

पंजीकृत कार्यालय: ई-14/13, दूसरी मंजिल, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 **CIN: U89900DL2023NPL416719**

प्रवर्ध सं. आईएनसी-19 सूचना

[कंपनी (गलन) नियम, 2014 के नियम 22 के अनुसार]

- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी अधिनियम 22(1) के अनुपालन के तहत क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय I, नई दिल्ली के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(5) के तहत जारी किए गए लाइसेंस सं. 145779 को संशुद्ध करने हेतु उनकी स्वीकृति मांगी गई है। लाइसेंस निरस्त होने के उपरान्त, फाउंडेशन को अपने नाम में फाउंडेशन शब्द के स्थान पर "प्राइवेट लिमिटेड" शब्द जोड़ना अनिवार्य होगा।
- कंपनी के वर्तमान मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं:
 - उन लोगों को जीवन की बुनियादी जरूरतें, जिनमें स्वच्छ, सुरक्षित और पीठिक भोजन, स्वच्छ और सुरक्षित पीने का पानी, आवास; शिक्षा; और आजीविका शामिल हैं, उपलब्ध कराकर गरीबी कम करने में मदद करना, जो इन चीजों से वंचित हैं।
 - मेयोरेडम और आर्टिकल (नीयता और प्रस्तावित) की प्रतिनिधि फाउंडेशन के पंजीकृत कार्यालय ई-14/13, दूसरी मंजिल, वसंत विहार, नई दिल्ली 110 057 में देखी जा सकती है।
- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम या निर्मात नियम जिसमें मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली, जिसका फाउंडेशन पर क्षेत्राधिकार है, फाउंडेशन पर क्षेत्राधिकार रखने वाला आयकर अधिकारी, बैंक/टी केमिस्टर, एनसीटी दिल्ली के मुख्य सचिव, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई भी संगठन अथवा विभाग, अथवा अन्य कोई भी प्राधिकरण जिसके क्षेत्राधिकार में फाउंडेशन स्थित है/कार्यरत है, शामिल हैं, और यदि इनमें से कोई भी प्राधिकरण इस आवेदन पर आपत्ति करना चाहता है, तो वह अपनी ऐसी आपत्ति/अन्यायन, फाउंडेशन को सूचनाई का अवसर देने के बाद, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से सात दिनों के भीतर, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय I, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीनदत्त अंबोवाल भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को संबोधित एक पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं; साथ ही इसकी एक प्रतिनिधि आवेदन के पंजीकृत कार्यालय ई-14/13, दूसरी मंजिल, वसंत विहार, नई दिल्ली 110 057 के पास भी भेजी जानी चाहिए।

कृते सूचनाय नमः फाउंडेशन

दिनांक 25 मई, 2026 स्थान: नई दिल्ली

- विक्रम अग्रवाल, निदेशक
- गुंजन अग्रवाल, निदेशक

कच्चा सूचना (अवल संपत्ति के लिए)

जबकि अयोधलाक्षरी, **सीएफएम एसेट रिस्कट्रान्स प्राइवेट लिमिटेड (सीएफएमएआरसी) (सीआईएन : U67100GJ2015FPC083994)** जो कि वित्तीय आस्तरियों के प्रतिभूतन और पुनर्निर्गत तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संशुद्ध अधिनियम) की धारा 3 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत एक एसेट रिस्कट्रान्स कंपनी है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के प्रासंगिक नियमों के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित सूचना जारी करते हैं :

समान कैपिटल लिमिटेड (पूर्व में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएफएफएल) के रूप में ज्ञात) (अब समान कैपिटल लिमिटेड के रूप में ज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी ने नियमावली के नियम 3 के साथ पठित संपत्तियों अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **दिथि 16.01.2018** को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें ऋणधारक (को) नवीन प्रमाण तथा पायल प्रारारण से **ऋण खाता संख्या HHLV.AS00217438 के अंतर्गत दिथि 13.01.2018 को सूचना में उल्लिखित राशि रु. 34,71,452/- (एकपे चाँदीस लाख इक्कतर हजार चार सौ बानन मात्र)** तथा उस पर ब्याज एवं अन्य शुल्कों को उक्त सूचना प्रान्त होने की दिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। आईएफएफएल ने, संशुद्ध अधिनियम के प्राधान्यों के अंतर्गत, **सीएफएमएआरसी ट्रस्ट- I आईएफएफएल** के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने की अपनी इतिरासत से, दिथि 30.06.2020 के समनुदेशन समझौते के माध्यम से उपरोक्त उल्लिखित ऋणधारक (को) के ऋण को सीएफएमएआरसी को समनुदेशित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप **सीएफएमएआरसी** उपरोक्त ऋण खाते के संबंध में एक प्रतिभूत लेनदार के रूप में आई है, जिसे **सीएफएमएआरसी** की खाताबहियों में **ऋण खाता संख्या CFMARC217438** के रूप में पुनर्निर्गत किया गया है। ऋणधारक (को) द्वारा ऊपर उल्लिखित राशि को चुकाने में विफल रहने पर, ऋणधारक (को) तथा सामान्य जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अयोधलाक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिथि **23.05.2026** को यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणधारक (को) तथा सामान्य जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें तथा संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन दिथि **13.01.2018** को रु. **34,71,452/- (एकपे चाँदीस लाख इक्कतर हजार चार सौ बानन मात्र)** की एक राशि और इस राशि पर ब्याज तथा अन्य शुल्कों के लिए **सीएफएमएआरसी** के भ्रामाश्रित होंगे। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्राधान्यों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अवल संपत्ति का विवरण

गुंजन नं. बी - 1504, 15वीं तल, टावर/ब्लॉक - बी, जिसका अधि क्षेत्रफल 1395 वर्ग फीट है, जो कि गेट नंबर 1 में गैलेरिसिया/ एफआरए - 11, 1 ए, सूरजपुर साइट - 3, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के रूप में ज्ञात आवासीय परिसर में स्थित है।

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी **सीएफएम एसेट रिस्कट्रान्स प्राइवेट लिमिटेड (सीएफएमएआरसी) (सीआईएन : U67100GJ2015FPC083994) के रूप में कार्य करते हुए**

स्थान : नोएडा, उत्तर प्रदेश दिनांक : 23/05/2026

ऑकारा असेट्स रिस्कट्रान्स प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : मंहर 9, पंचम, फर्स्ट फ्लोर, कोणू नगर एक्सटेंशन, सिक्वोर-641607 **कार्यालय निर्माण :** कोहिन्दूर नगर, 47वां तल, पंचसी, केंकरमा गली, आर.ओ. गडकरी रोड, वारर (सिटी), मुंबई महानगर-400026, टेलीफोन : का 288623111, 92210 28203

उपरोक्त - 4 -क, दिथि 8(6) एवं 8(1) का संशुद्ध देय।

अवल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना ई-नीलामी की दिथि : 18 जुन, 2026

वित्तीय आस्तरियों का प्रतिनिधित्व और पुनर्निर्गत तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) तथा 8(1) के तहत अवल आस्तरियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण को तथा विधि रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/बैंकदाता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अवल संपत्ति, जो प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/भ्रामरित है, बकया राशि की वसूली के लिए **पैकी है जहाँ है, जो है पैकी है और जो कुछ भी है वहाँ है** के आधार पर **18 जुन, 2026 को पूर्व 11.00 बजे से मध्य 12.00 बजे तक** (कोली प्रवृत्त करने की आरंभ दिथि और समय 17 जुन, 2026 को अब 4.00 बजे तक है) बेची जाएगी। ऑकारा एसेट्स रिस्कट्रान्स प्राइवेट लिमिटेड ने (ऑकारा पीएस 22/2020-21 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए) फुलतन इंडिया असेट्स कंपनी लिमिटेड (एफआईसीपीएल) से 26 फरवरी, 2021 के समनुदेशन अधिनियम के माध्यम से अधिलिखित प्रतिभूति संचित उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों/बैंकदाता की तरफ कुछ ऋणधारक का अधिग्रहण किया है। तदनुसार, ओएआरपीएल ने मूल प्रतिभूत लेनदार एफआईसीपीएल का स्थान ले लिया है और बकया राशि वसूलने और परिसंपत्तियों को भुनाने का इकदार बन गया है। इसके अतिरिक्त, ओएआरपीएल ने समनुदेशन अनुबंध दिनांक **19 मार्च 2025** के माध्यम से उक्त खाता कानूनी कार्यवाई आरम करने/जारी करने हेतु **ऑकारा पीएस 21/2024-26** हस्तांतरित कर दिया है। कर्जदार/सह-कर्जदारों/बैंकदाता का विवरण और नीचे वर्णित कर्जदार/सह-कर्जदारों/बैंकदाता द्वारा ओएआरपीएल को देय ब्याज और खर्च सहित, बकया राशि और अवल संपत्ति का विवरण, सुरक्षित मूल्य और धरोहर राशि (ईएमवी) और ज्ञात ऋणभार (पदि कोई) निम्नानुसार है -:

ऋण खाते का विवरण	संपत्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य	ईएमवी	न्यूनतम बोली बुद्धि राशि
1. सुरिंदर शाही (कर्जदार/बैंकदाता)	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : मीडो 'लाना के द्वितीय तल पर, ब्लॉक-बी-1 में दुकान नंबर 30, जो प्रॉपर्टी नंबर 26 और 28-2, सूरजपुर रोड, इंदौर/दूध का हिसरा है, जिन्हाए पंथि, प। 192 वर्ग फीट या 17.84 वर्ग मीटर है और जिसके स्वामी श्री सुरिंदर शाही और मंहर शाही हैं; सीमाएं : उत्तर : दुर्गल नगर 33, दक्षिण : 4 फीट चौड़ा कॉमन रास्ता, पूर्व : दुर्गल नगर 31, पश्चिम : दुकान नंबर 29	रु. 26,11,000/- (रुपये छब्बीस लाख ग्यारह हजार मात्र)	रु. 2,61,000/- (दो लाख इक्कतर हजार एक सौ रुपये मात्र)	रु. 25,000/- (केवल पचासी हजार मात्र)
बकया राशि	रु. 17,40,652.93 + भुगतान तथा पूर्व बकया की वसूली की दिथि तक का माती ब्याज और खर्च (17 सितंबर 2021 की मांग सूचना के अनुसार)			
कच्चा की स्थिति	प्रत्याभूत आस्तरियों का मौखिक कच्चा प्राधिकृत अधिकारी (ओएआरपीएल) ने 6 जुन 2024 को ले लिया है।			
निर्णय की दिथि	15-06-2026 - अप. 02.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक			
प्रतिभाषिता हेतु बोली वसूलेज जमा करने हेतु अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित और समय	17 जुन 2026 को मांग 4 बजे तक ओएआरपीएल के शाखा कार्यालय में, जो कार्यालय संख्या 206-207, अरुणावत विडियन, वाररबास रोड के पास, नई दिल्ली-110001 में स्थित है, या ईमेल आईडी: nitin.kashyap@omkaraarc.com / surender.singh@omkaraarc.com पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, आप प्राधिकृत अधिकारी से उनके कॉन्टैक्ट नंबर 8447636800/8847960010 पर संपर्क कर सकते हैं।			
कोई ऋणभार	ज्ञात नहीं			
कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	सभी बिक्रड को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए www.omkaraarc.com / http://www.omkaraarc.com/auction.php या www.bankauctions.com पर जाएं। बिक्र करने वाले इच्छुक लोगों को इन्सॉल्वेंसी एंड बैकरोसी कोड, 2016 की धारा 29क के तहत नियमों का पालन करना होगा और घोषणापत्र देना होगा।			

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) और 8(1) के तहत बिक्री के संबंध में कानूनी नोटिस

यह नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) और 8(1) तथा वित्तीय आस्तरियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्राधान्यों के अंतर्गत, उपरोक्त ऋण खाते के कर्जदार(रों) के लिए न्यूनतम 15 (पंद्रह) दिन का एक अनिवार्य नोटिस भी है, जिसमें उन्हें उपरोक्त दिथि और समय पर ई-नीलामी के माध्यम से नीलामी/बिक्री के आयोजन के बारे में सूचित किया जाता है और यह सलाह दी जाती है कि यदि वे चाहें तो बिक्री समाप्त होने से पहले किसी भी समय, ऊपर उल्लिखित बकया राशि, ब्याज और सभी लागतों व खर्चों का भुगतान करके आस्तरियां छुड़ा सकते हैं। भुगतान में पूरक की स्थिति में, प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति ऋणदाता तक विधिक रूप से स्मर्यति प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 में निर्धारित अनुसार ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी।

दिनांक : 22-06-2026 स्थान : देहरादून

प्रतिकृत अधिकारी

ऑकारा पीएस 21/2024-26 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत

जेएचएस स्वेनगार्ड रिटेल वेंचर्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट एवधान संख्या: L52100DR2007PLC003324

पंजीकृत कार्यालय: व्ही तल, ब्लॉक - 44, इंदौर/दूधमल परिया, पञ्चम, हरियाणा, भारत-122001 **फोन नं.** +91-8130707481 **ई-मेल:** cs@jhsretail.com **वेबसाइट:** www.jhsretail.com

जेएचएस स्वेनगार्ड रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के सदस्यों की शनिवार, 30 मई, 2026 को आयोजित होने वाली असाधारण आम बैठक के नोटिस का सुविध्वर

प्रिय सदस्यों,

कंपनी इस संवार के माध्यम से शेयरधारकों के संज्ञान में लाना चाहती है कि कंपनी ने वीइजो कॉन्फेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल मोड ("ओवीएम") के माध्यम से शनिवार, 30 मई, 2026 को दोपहर 12:00 बजे निर्धारित असाधारण आम बैठक ("ईजीएम") के अपने नोटिस का एक सुविध्वर जारी किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्राधान्यों के साथ-साथ उक्त तहत प्रासंगिक नियमों के अनुपालन में ईजीएम का नोटिस 06 मई, 2026 को कंपनी के सभी सदस्यों को पहले ही भेज दिया गया है/ईमेल कर दिया गया है। इस तारीख की ओर से, ईजीएम नोटिस को हमेशा सुविध्वर के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस सुविध्वर द्वारा संशोधित/स्वच्छ किए गए मंदां को छोड़कर, ईजीएम नोटिस की अन्य सभी विषय-वस्तु अपरिवर्तित रहेंगी। ईजीएम का उपरोक्त सुविध्वर कंपनी की वेबसाइट www.jhsretail.com, नेशनल सिक्वोरिटीज डिजिटल/डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

दिनांक: 25.05.2026 स्थान: नई दिल्ली

बोर्ड के आदेशानुसार हस्ता/-कुलवीर जॉर्जिन कंपनी सचिव

कच्चा सूचना (अवल संपत्ति के लिए)

जबकि अयोधलाक्षरी, **सीएफएम एसेट रिस्कट्रान्स प्राइवेट लिमिटेड (सीएफएमएआरसी) (सीआईएन : U67100GJ2015FPC083994)** जो कि वित्तीय आस्तरियों के प्रतिभूतन और पुनर्निर्गत तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संशुद्ध अधिनियम) की धारा 3 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत एक एसेट रिस्कट्रान्स कंपनी है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के प्रासंगिक नियमों के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित सूचना जारी करते हैं :

समान कैपिटल लिमिटेड (पूर्व में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएफएफएल) के रूप में ज्ञात) (अब समान कैपिटल लिमिटेड के रूप में ज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी ने नियमावली के नियम 3 के साथ पठित संपत्तियों अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिथि **16.01.2018** को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें ऋणधारक (को) नवीन प्रमाण तथा पायल प्रारारण से **ऋण खाता संख्या HHLV.AS00217438 के अंतर्गत दिथि 13.01.2018 को सूचना में उल्लिखित राशि रु. 34,71,452/- (एकपे चाँदीस लाख इक्कतर हजार चार सौ बानन मात्र)** तथा उस पर ब्याज एवं अन्य शुल्कों को उक्त सूचना प्रान्त होने की दिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। आईएफएफएल ने, संशुद्ध अधिनियम के प्राधान्यों के अंतर्गत, **सीएफएमएआरसी ट्रस्ट- I आईएफएफएल** के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने की अपनी इतिरासत से, दिथि 30.06.2020 के समनुदेशन समझौते के माध्यम से उपरोक्त उल्लिखित ऋणधारक (को) के ऋण को सीएफएमएआरसी को समनुदेशित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप **सीएफएमएआरसी** उपरोक्त ऋण खाते के संबंध में एक प्रतिभूत लेनदार के रूप में आई है, जिसे **सीएफएमएआरसी** की खाताबहियों में **ऋण खाता संख्या CFMARC217438** के रूप में पुनर्निर्गत किया गया है। ऋणधारक (को) द्वारा ऊपर उल्लिखित राशि को चुकाने में विफल रहने पर, ऋणधारक (को) तथा सामान्य जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अयोधलाक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिथि **23.05.2026** को यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणधारक (को) तथा सामान्य जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें तथा संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन दिथि **13.01.2018** को रु. **34,71,452/- (एकपे चाँदीस लाख इक्कतर हजार चार सौ बानन मात्र)** की एक राशि और इस राशि पर ब्याज तथा अन्य शुल्कों के लिए **सीएफएमएआरसी** के भ्रामाश्रित होंगे। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्राधान्यों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अवल संपत्ति का विवरण

गुंजन नं. बी - 1504, 15वीं तल, टावर/ब्लॉक - बी, जिसका अधि क्षेत्रफल 1395 वर्ग फीट है, जो कि गेट नंबर 1 में गैलेरिसिया/ एफआरए - 11, 1 ए, सूरजपुर साइट - 3, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के रूप में ज्ञात आवासीय परिसर में स्थित है।

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी **सीएफएम एसेट रिस्कट्रान्स प्राइवेट लिमिटेड (सीएफएमएआरसी) (सीआईएन : U67100GJ2015FPC083994) के रूप में कार्य करते हुए**

स्थान : नोएडा, उत्तर प्रदेश दिनांक : 23/05/2026

TOUCHWOOD ENTERTAINMENT LIMITED

Regd Off : Sec-B, Pkt-1, Space No-301 & 302 LSC-7, Community Centre, Vasant Kunj Sector B New Delhi - 110070 **CIN: L92199DL1997PLC088865 Website:** www.touchwood.in **Contact No : +91 9811004823**

Extract of Statement of Audited Consolidated & Standalone Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2026 (Amount in INR Lakhs, except per equity share data)

S. No.	Particulars	Consolidated				Standalone			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		31 st March 2026	31 st March 2025	31 st March 2026	31 st March 20				